

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
भू-अर्जन निदेशालय
बिहार, पटना

अधिसूचना

तारीख.../.../2013

सं०.....आर०
चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव - पथरा थाना नं० - ४५, परगाना - कुटुम्बा, थाना - नवीनगर, जिला - औरंगाबाद मे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वांक गाँव - पथरा के भीतर भूमि का एक टूकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कम वेश, जो ०.४२७ एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं० एवं चौहदी निम्न प्रकार हैं :—

अधिकृत खेसरा सं० -

अंश - ०१ एवं ०२

उत्तर :— ग्राम बेलौटी, थाना नं०— ३३

पूरब :— १६ एवं ५८७ (रेलवे लाईन)

दक्षिण :— ग्राम— सत्य, थाना नं०— ४९

पश्चिम :— ०३, ०६, ०८, ०९, १०, ११, १२, १३ एवं १४

यह अधिसूचना अधिनियम १८९४ कि धारा ४ के उपबंधो के अधीन (यथा भू-अर्जन अधिनियम १९८४ द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती हैं जिसका इससे संबंध हो।


भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है। समाहर्ता, औरंगाबाद भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना के संबंध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे नवीनगर जेनरेटिंग पावर कारपोरेशन लि० पटना के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (२) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम को धारा १७ (४) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने परियोजना की शीधता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा ५A (२) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।



- प्रतिलिपि १. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी०डी० सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अधिघोषणा की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि २. प्रभारी उप समाहत्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि ३. आयुक्त, मग्ध प्रमंडल, गया को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि ४. समाहत्ता/अपर समाहत्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।
